


## प्रृष्ठ 2 (नियम 11 (4) दोषेण)



## कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (MORENA), मध्यप्रदेश

दरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक:/020061241/स्कूल आई.डी. - 82277  
प्रति,

दिनांक:- 02/03/2019

प्रबंधक,

(NEW DELHI PUBLIC SCHOOL)

**विषय:** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 06/08/2018 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -NEW DELHI PUBLIC SCHOOL, JARAH ROAD VILLAGE BANDHA MORENA को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए

दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हू।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधारीन होगी:-

- मान्यता प्रिस्टारित गही होनी तथा कक्षा 8 से आगे नी मान्यता/राबूद्धता की कोई ग्राह्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और भवितव्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पढ़ोरों की सीमा के बाहिर पढ़ोर के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दिनांक में, स्पून यदि राहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक ग्राहकी व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार याचिका आजर्ता सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु महं न्यूनतम प्रत्योगी प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की 3पद्धा (1) के खण्ड (क) से (ग) के 3पद्ध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कौपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अधिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पञ्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या गूतवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - विसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक विसी भी बालक को विसी कक्षा में रोका गा निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - विसी बालक वो शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताङ्गित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - मध्यनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्यों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं।-

	सुविधाएँ	पोर्टल से दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	83120	83120
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	45400	45400
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	37720	37720

### 3. अपोसंरचना का विवरण

	कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल से दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	कक्ष आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षों कक्ष	12	484	12
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	1	660	1
3	भौजनालय-सह-भण्डार	0	0	0

### 4. अन्य सुविधाएँ

	अन्य सुविधाएँ	पोर्टल से दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	नगा सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहत है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2	पन्न मानन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूट एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	2500	2500
5	परिकार्य/समाचार पत्र	5	5
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Pipe Water	Pipe Water
7	पेयजल सुविधा की संख्या	15	15
8	शौचालय का प्रकार (आरतीय/परिधानी/नहीं)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	15	15
10	सड़कियों के लिए गृहण शौचालयों नहीं रखेगा	8	8
11	गिरकरांग घटनों के लिए नियम शौचालयों की राशि	1	1
12	नगा गर्जन गुरुसा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेख संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्ट एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उपर्युक्त लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक शैक्षणिकों के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर 020061241.. एवं डाइसकोड (DISE) 23020301204 है। इस कार्यालय के राथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसे रिपोर्ट और जानकारी रक्खने परामर्श देने वाली जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्वूत्तर राज्य राजकार/स्थानीय प्राधिकारी ने ऐसे अनुदेशों पर पालन करेगा, जिसा कि रक्खने के संघरण की गवाहियों को दूर करने के लिए अत्यवा मान्यता की शर्तों की नियन्त्रण पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, बृद्धि बोर्ड होंगे, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपावंथ "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

अधिकारी,  
नवदीय,-

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला MORENA

मध्यप्रदेश